न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1304/2026

CNR No.-UPGD010038302026

1–राघवराम आयु करीब 56 वर्ष पुत्र राम दयाल,

2–राजेन्द्र सिंह उर्फ लल्लन आयु करीब 23 वर्ष पुत्र राघवराम,

निवासीगण–ग्राम नरायनपुर, थाना–तरबगंज, जिला–गोण्डा।

..... **प्रार्थीगण/अभियुक्तगण।**

बनाम

1–श्रीमती रिंकी आयु करीब 35 वर्ष पत्नी सुनील कुमार,

निवासिनी ग्राम नरायनपुर, थाना वजीरगंज, जिला–गोण्डा।

2–सरकार उ०प्र०।

..... **विपक्षीगण।**

परिवाद संख्या–120/2023

धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं. व

3(1)द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट,

थाना–तरबगंज, जिला–गोण्डा।

दिनांक–10.07.2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **राघवराम व राजेन्द्र सिंह उर्फ लल्लन** की ओर से परिवाद संख्या–120/2023, धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं. व 3(1)द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–तरबगंज, जिला गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण दिनांक–01.06.2026 से अन्तरिम जमानत पर हैं और आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि परिवादिनी श्रीमती रिंकी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं.प्र.सं. में कथन किया गया है कि प्रार्थिनी एक अनुसूचित जाति की धोबी है। विपक्षीगण सवर्ण जाति के राना (घरूक) है, जो दबंग व राजनीतिक पहुंच वाले व्यक्ति है। दिनांक–17.06.2022 को समय करीब 08 बजे सुबह लड़कों के झगड़े को लेकर प्रार्थिनी को अपमानित करने के उद्देश्य से भद्दी–भद्दी मां बहन की गालियां देते हुए दरवाजे पर आ गये व जाति सूचक शब्दों से धोबिन साली मादरचोद की गाली देते हुए मूका, थप्पड़, डंडा से मारने पीटने लगे। प्रार्थिनी शोर करती हुई घर के अन्दर भाग गयी सभी विपक्षीगण घर के अन्दर घुसकर प्रार्थिनी को मारा पीटा तथा घर के अन्दर रखा

Digitally signed by Alok Sharma
Date: 2026.07.10 17:17:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सामान भी तोड़–फोड़ दिया, काफी नुकसान हुआ। शोर सुनकर प्रार्थिनी के पति सुनील कुमार व लड़का दौड़कर आये तो विपक्षीगण ने उन्हें भी मूक्का, थप्पड़ से मारा पीटा, जिससे उन्हें चोटें भी आयी। प्रार्थिनी ने दिनांक–20.06.2022 को अपने पति के साथ जिला अस्पताल गोण्डा आयी और अपने चोटों का मेडिकल कराया।

परिवादिनी के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं.प्र.सं. को न्यायालय द्वारा बतौर परिवाद दर्ज किया गया तथा परिवादिनी का बयान धारा–200 दं.प्र.सं. व साक्षियों का बयान धारा–202 दं.प्र.सं. के रूप में अंकित कर न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण को उपरोक्त धाराओं में विचारण हेतु तलब किया गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण को उपरोक्त मुकदमें में रंजिशन फंसाया गया है, जमीन के बावत मुकदमा परिवादिनी और प्रार्थीगण के मध्य चल चुका है। प्रार्थिगण ने किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं की है और न ही परिवादिनी को मारा पीटा है कथित घटना पूर्ण रूप से असत्य है। प्रार्थीगण को उपरोक्त मुकदमें में गलत रूप से फंसाया गया है, प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही किसी मुकदमें में दोषी करार दिया गया है। प्रार्थीगण के नाम कोई आपराधिक मुकदमा भी विचाराधीन नहीं है, प्रार्थीगण जानकारी होने पर मुकदमें में हाजिर होकर जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है। न्यायहित में प्रार्थीगण का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने योग्य है।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपराध की गम्भीरता के आधार पर जमानत का विरोध किया गया है और जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, परिवादी के विद्वान अधिवक्ता व विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी श्रीमती रिंकी के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–156(3) दं.प्र.सं. के आधार पर न्यायालय द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण को धारा उपरोक्त में विचारण हेतु तलब किया गया है। मामला परिवाद पर आधारित है तथा मारपीट के संबंध में जो मेडिकल प्रपत्र/आघात आख्या दाखिल किया गया है, उसमें चोटहिल को आयी चोटें साधारण प्रकृति की होना दर्शित किया गया है। सम्बन्धित थाने से अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्तगण अन्तरिम जमानत पर है, उनके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है तथा स्वंय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया है, शेष अन्य बातें साक्ष्य का विषय है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण–दोष पर विचार व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है, तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **राघवराम व राजेन्द्र सिंह उर्फ लल्लन** की ओर से परिवाद संख्या–120/2023, धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं. व 3(1)द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–तरबगंज, जिला गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1304/2026 **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा मु०–20,000–20,000/–रूपये (बीस–बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो–दो प्रतिभू दाखिल किए जाने पर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

(आलोक शर्मा)

दिनांक–10.07.2026

विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
गोण्डा।
JO Code-UP1751